न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैया लाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 263/2015

1. रामस्वरूप पुत्र चुन्नीलाल जाति सुथार निवासी चक 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर––मृतक

1/1 भागवंती पत्नी रामस्वरूप 1/2 सुनीता देवी पुत्री रामस्वरूप		जाति सुथार निवासी चक 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. संतराम 3. इन्द्र कुमार 4. श्री भगवान		पिसरान चुन्नीलाल जाति सुथार निवासी चक 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलार्थीगण

बनाम

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2. कृष्ण लाल 3. रामकुमार 4. मुन्नी देवी 5. रामनारायणी 6. लिछमा देवी	पिसरान चुन्नीलाल	जाति सुथार निवासी 2 सी छोटी तहसील व जिला

7. राज कमल पुत्र रोमती देवी पुत्री चुन्नीलाल
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर दिनांक 10.11.2015

उपस्थितिः–

श्री ओ. पी. बतरा, अभिभाषक अपीलांट

श्री दलबारा सिंह बराड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 16.10.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेशकर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वह चक 2 सी छोटी के खाता संख्या 72/77 के मुरब्बा नम्बर 18 की 25 बीघा में से 0.575 हैक्टेयर किसी को रहन बैय आदि द्वारा मुन्तकिल न करें। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि जरिये बैयनामा अप्रार्थी द्वारा क्रय की गई है। बैयनामा पंजीकृत है। जब तक सिविल न्यायालय से उसे निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक उसे न मानने का कोई कारण नहीं है। अप्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.11.2015 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट के पिता चुन्नीलाल के नाम था। चुन्नीलाल की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि वारिस के रूप में हरकोरी के नाम से दर्ज हुई। हरकोरी विवादित भूमि भूपेन्द्र सिंह को ठेके पर देती थी। अपीलांट हरकोरी के उत्तराधिकारी होने के कारण भूमि प्राप्त करने

के अधिकारी हैं। हरकोरी की उम्र 102 वर्ष थी जिसे बैयनामा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बैयनामा धोखे से करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जरिये बैयनामा भूमि क्रय की गई है। बैयनामा को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर ही निरस्त करवाया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट अभिलिखित खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट का मुख्य तर्क यह रहा है कि हरकोरी की वृद्धावस्था का फायदा उठाते हुए बैयनामा करवाया गया है। हरकोरी को बैयनामा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किन्तु अपीलांट ने इस तथ्य से इन्कार नहीं किया कि बैयनामा नहीं करवाया गया है। बैयनामा फर्जी है या नहीं इसको निरस्त करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है। उक्त बैयनामा को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करवाया हो, ऐसा कथन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट का किसी प्रकार से मामला न मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर